

आदेश

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा निवेदन किया गया है कि निम्नांकित प्रकरणों में सचिव, नगर सुधार न्यास आबू एवं आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत को पक्षकार बनाया गया है एवं उक्त चार्ज वर्तमान में सहायक कलक्टर आबूपर्वत के पास है। अतः निम्नांकित प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत से न्यायालय सहायक कलक्टर आबूरोड को स्थानान्तरित किए जाते हैं-

क्र.सं.	वाद / प्रार्थना पत्र संख्या	अन्तर्गत धारा	अनवान	आदेशिका संख्या	पृष्ठ संख्या
1	15/2020	88,188,92ए,209 आरटी एक्ट	श्रीमती शांताकुंवर पत्नि श्री माधोसिंह बनाम सचिव नगर सुधार न्यास	1-4	1-52
2	12/2020	212 आरटी एक्ट	श्रीमती शांताकुंवर पत्नि श्री माधोसिंह बनाम सचिव नगर सुधार न्यास	1-4	1-52
3	01/2021	212 आरटी एक्ट	श्री किशोर कुमार पुत्र श्री लाधाजी बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड व अन्य	1-3	1-41
4	01/2021	188, 209 आरटी एक्ट	श्री किशोर कुमार पुत्र श्री लाधाजी बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड व अन्य	1-3	1-44
5	37/2011	88,188 राज. काश्त. अधि. 1955	राजपूताना क्लब बनाम अधिशाषी अधिकारी न.पा. आबूपर्वत	1-42	1-84
6	36/2011	88,188 राज. काश्त. अधि. 1955	राजपूताना क्लब बनाम सरकार व अन्य	1-43	1-116

संलग्न:- उक्त 06 प्रकरणों की मूल पत्रावली।

क्रमांक / कोर्ट / 2022 / 588

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सहायक कलक्टर आबूरोड।
2. सहायक कलक्टर आबूपर्वत।

(डॉ. भैवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही  
दिनांक:- 21.04.2022

जिला कलक्टर, सिरौही

